

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

(5)

अपील संख्या

12/34/2018

प्रवेश तिथि

10-05-2018

निर्णय दिनांक

17-05-2018

01- रामदयाल पुत्र नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम नैथला तहसील मालाखेडा जिला अलवर

—: अपीलाण्ट

बनाम

01- तहसीलदार मालाखेडा, जिला अलवर।

—: रेस्पौडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार मालाखेडा
दिनांक 12.01.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 95/2017

उपस्थित:-

01-श्री गोविन्द राम यादव

—वकील अपीलाण्ट

—:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेडा के आदेश दिनांक 12.01.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम नैथला की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 849 रकबा 0.38, आराजी खसरा नम्बर 850 रकबा 0.40 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्जे सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम नैथला की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 849 रकबा 0.38, आराजी खसरा नम्बर 850 रकबा 0.40 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 15.09.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का पश्चातवर्ति अतिक्रमण साबित नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रार्थना पत्र दिनांक 14.03.2018 में कब्जा छोडना बताया गया है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का नैथला द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 23.03.2018 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17-05-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)